



उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

पत्रांक: 30प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/45847-46447 दिनांक: 03, दिसम्बर, 2009

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

1. प्रो० मुकुल सिंह,
डीन/प्राचार्य,
फैकल्टी आफ आर्किटेक्चर,
30प्र0प्रा0वि0, लखनऊ ।
2. प्रो० ए०ए० जिल्ली,
कम्प्यूटर इंजी० एण्ड साइंस विभाग,
के०एन०आई०टी०, सुलतानपुर ।
3. प्रो० भारती द्विवेदी,
इलेक्ट्रिकल इंजी० विभाग,
आई०ई०टी०, लखनऊ ।
4. डा० ओंकार सिंह,
मैकेनिकल इंजी० विभाग,
एच०बी०टी०आई०, कानपुर ।
5. डा० वी०के० सिंह,
इलेक्ट्रानिक्स इंजी० विभाग,
आई०ई०टी०, लखनऊ ।

विषय- रैगिंग निषेध नियंत्रण प्रकोष्ठ (Anti Ragging Monitoring Cell) का गठन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संबंधित विश्वविद्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं० 30प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/41860-68, दिनांक 18.11.09 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

इस संबंध में यह अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा रैगिंग निषेध नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 8.10.09 को सम्पन्न हुई विभागीय समीक्षा बैठक में रैगिंग की रोकथाम हेतु निम्नवत निर्णय लिया:-

‘रैगिंग रोकने के संबंध में किये जा रहे प्रयासों पर तत्परता एवं सजगता बनाये रखने की अपेक्षा की गयी ताकि इस प्रकार की कोई घटना न हो। रैगिंग की रोकथाम के लिये अध्यादेश भी लाया जा रहा है। रैगिंग की रोकथाम के लिये यूपीटीयू द्वारा समय-समय पर स्कवैड के माध्यम से औचक निरीक्षण किया जाये’।

शासन के अपेक्षानुसार विश्वविद्यालय ने रैगिंग की रोकथाम हेतु गठित Anti Ragging Monitoring Cell द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं का औचक निरीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया है। अतः अनुरोध है कि कृपया समय-समय पर विश्वविद्यालय को अवगत कराते हुए संस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार शासन को अवगत कराया जा सके ।

भवदीय

/

(यू०एस० तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांक सं० व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र सं० 3302/सोलह-1-2009, दिनांक 12.11.09 के संदर्भ में ।
- ✓ 2. निदेशक/प्राचार्य, उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएं ।
3. वित्त अधिकारी, उ०प्र० प्रा० वि०, लखनऊ ।
4. परीक्षा नियंत्रक, उ०प्र० प्रा० वि०, लखनऊ ।
5. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, उ०प्र० प्रा० वि०, लखनऊ ।


(यू०एस० तोमर)
कुलसचिव